

## प्रेस-विज्ञप्ति

### भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा किराये पर भवन लेने के विषय में

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, लखनऊ (उ.प्र.) द्वारा अधिकारी मैस एवं अधीनस्थ अधिकारी मैस के लिए जैतीखेडा से डी.एल.एफ. गार्डन सिटी, वृन्दावन कॉलोनी एवं शहीद पथ के नजदीक तक निम्नानुसार किराये पर दो भवनों की आवश्यकता है :-

क्र.सं.	भवन का प्रयोग	कारपेट एरिया	शर्तें
01	अधिकारी मैस	3000-10000 वर्ग फूट	1. भवन में कम से कम एक बड़ा ड्राईंग, किचन व डायनिंग रूम। 2. तीन से चार बेडरूम अटैच टायलेट व बाथरूम सहित। 3. कम से कम दो छोटे चार पहिया वाहन के लिये पार्किंग स्थान। 4. एक लॉन होना आवश्यक है। 5. प्रथम करार की अवधि 01 वर्ष (दिनांक 01.04.23 से 31.03.24 तक) एवं पुनः भवन करार बढौत्तरी की संभावना।
02	अधीनस्थ अधिकारी मैस	2000-10000 वर्ग फूट	

2. इच्छुक भवन स्वामियों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन पत्र भवन के पूर्ण विवरण एवं संबंधित दस्तावेजों सहित जैसे कि कारपेट एरिया/ कवर्ड एरिया भवन का फ्लोरवाइज प्लान, भवन निर्माण का वर्ष, अपेक्षित मासिक किराया एवं स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्रों के साथ उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ग्राम जैतीखेडा, मोहनलालगंज, लखनऊ (उ.प्र.) के कार्यालय में दिनांक- 01.01.23 तक डाक द्वारा भेजा जाये या उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय (लखनऊ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, की कार्यालय ई-मेल आई.डी- itcelllko@itbp.gov.in पर प्रेषित किया जाये।



(के. संजय कुमार, भा.पु.से.)  
उप महानिरीक्षक  
क्षे.मु.(लखनऊ), भा.ति.सी.पु. बल